D NO D.L-33004/99

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



The Gazett

### EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

we Go u

सं. 5011 No. 501]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवस्बर 16, 2004/कार्तिक 25, 1926 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 2004/KARTIKA 25, 1926

वित्त मंत्रालय

( आर्थिक कार्य विभाग )

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 16 अक्तूबर, 2004

सं. फेमा. 124/2004-आरबी

सा.का.नि. 745( अ). —िवदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 ( 1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (अ) और धारा 47 वर्त उप-धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित स्शोधन करता है, अर्थात् :--

## एक्सिप्त नाम और प्रारंभ

- 1. (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएंगे।
  - (ii) ये अक्तूबर 16. 2004 से लागू होंगे। @

# विनियमावली में संशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 में, विनियम 4 के उप-विनियम (3) में, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी: अर्थात् :—

''(iii)फारेन एअरलाइन/इंटरनैशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आइएटीए) के पक्ष में, आइएटीए अनुमोदित यात्रा एजेंटों की ओर से''। [फा. सं. 1/23/इएम/2000-खण्ड-II]]

श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर

- पाद टिप्पणी : 🕢 (i) यह उस तारीख का उल्लेख है जिस तारीख को इस विनियमावली द्वारा कवर किए गए निर्णय, अक्तूबर 16, 2004 के ए.पी. ( डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 17 जारी करने पर प्रभावी हो गए हैं।
  - (ii) भूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के सं. सा.का.नि. 391(3) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i)में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् अगस्त 19, 2002 के सं. सा.का.नि. 575(अ) द्वारा आशोधित किया गया है।

(1)

3435 31/2004

## **MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 16th October, 2004

## No. FEMA. 124/2004-RB

G.S.R. 745(E).—In exercise of powers conferred by clause (j) of Sub-section (3) of Section 6 and Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000, namely:—

#### Short title and commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) (Amendment) Regulations, 2004.
  - (ii) They shall come into force from October 16, 2004.@

## Amendment of the Regulations

- 2. In the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000, in sub-regulation (3) to Regulation 4 after item (ii) the following item shall be inserted, namely:—
  - "(iii) in favour of foreign airlines/International Air Transport Association (IATA), on behalf of IATA approved travel agents".

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol-III]

SHYAMALA GOPINATH, Dv. Governor

- Footnote: (a) (i) This has been mentioned as the date on which the decision/s covered by the Regulation/s became effective on the issue of A.P. (DIR Series) Circular No. 17 dated October 16, 2004.
  - (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 391(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* No. G.S.R. 575(E) dated August 19, 2002.